



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2014/अग्रहायण 12, 1936

No. 645]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2014/AGRAHAYANA 12, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसंबर, 2014

सा.का.नि. 867(अ.)—न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसको केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत यदि किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व यदि कोई आक्षेप या सुझाव होते हैं, तो उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय)(संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. न्यूनतम वेतन (केन्द्रीय) नियम, 1950 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 21, उप-नियम (4क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(4क). वार्षिक विवरणी - (1) प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को या इससे पूर्व आगामी वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार सूचना देते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर दिए गए प्रारूप III में वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा।

(2) प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को या इससे पूर्व आगामी वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार सूचना देते हुए प्ररूप III में निरीक्षक के समक्ष वार्षिक विवरणी फाइल कर सकेगा:

परन्तु यह कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक यथा स्थिति, खाते, बहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज चाहे ये हस्तलिखित या इलैक्ट्रॉनिक रूप में, यदि रखे गए हों, को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "इलैक्ट्रॉनिक रूप" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अनुच्छेद 2 के खण्ड(द) में उसका है।

3. मूल नियमों में, प्ररूप III के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, नामतः—

"प्ररूप III

[नियम 21(4क)(1) देखें]

एकीकृत वार्षिक विवरणी

क. साधारण भाग :

विवरण:

(क) स्थापना का नाम []
 स्थापना का पता []
 मकान नं./फ्लैट नं. [] गली/प्लॉट नं. [] नगर []
 जिला [] राज्य [] पिन कोड []

(ख) नियोजक का नाम []
 नियोजक का पता []
 मकान नं./फ्लैट नं. [] गली/प्लॉट नं. [] नगर []
 जिला [] राज्य [] पिन कोड []

ई-मेल आईडी [] दूरभाष सं. []
 मोबाइल नंबर []

ग. स्थापना के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक अथवा व्यक्ति का

नाम []
 पता मकान नं./फ्लैट नं. [] गली/प्लॉट नं. [] नगर []
 जिला [] राज्य [] पिन कोड []
 ई-मेल आईडी [] दूरभाष सं. []
 मोबाइल नंबर []

ख. नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित अधिनियम के अधीन नियोक्ता की रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या:

| क्र.सं. (1) | नाम (2) | पंजीकरण (3) | यदि हां(रजिस्ट्रीकरण संख्या)(4) |
|----------------|---|----------------|---------------------------------|
| 01 | भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 | | |
| 02 | ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 03 | अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 | | | |
| 04 | कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 | | | |
| 05. | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 | | | |
| 06. | खान अधिनियम, 1952 कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 3 अथवा लौह धातु खान विनियम, 1961 के विनियम 3 के अधीन खोलने की सूचना | | | |
| 07. | कारखाना अधिनियम, 1948. | | | |
| 08. | मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961. | | | |
| 09. | दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (राज्य अधिनियम) | | | |
| 10. | तत्समय प्रवृत्त अन्य कोई कानून | | | |

ग. प्रधान नियोक्ता, ठेकेदार एवं ठेका श्रमिकों का विवरण:

| | | |
|-----|---|--|
| 01. | ठेकेदार की स्थापना के मामले में प्रधान नियोक्ता का नाम | |
| 02. | स्थापना के प्रारम्भ होने की तारीख | |
| 03. | वर्ष के दौरान स्थापना में नियुक्त ठेकेदारों की संख्या | |
| 04. | वर्ष के दौरान ठेका श्रमिकों द्वारा कार्य किए गए दिवसों की कुल संख्या | |
| 05. | वर्ष के दौरान ठेका श्रमिकों द्वारा कार्य किए गए कार्य दिवसों की कुल संख्या | |
| 06. | प्रबंधक अभिकर्ता का नाम (खानों के मामले में) | |
| 07. | पता मकान संख्या/फ्लैट सं. <input type="text"/> गली/प्लॉट सं. <input type="text"/> नगर <input type="text"/> जिला <input type="text"/> राज्य <input type="text"/> पिन कोड <input type="text"/> ई-मेल आईडी <input type="text"/> दूरभाष सं. <input type="text"/> मोबाइल सं. <input type="text"/> | |

घ. कार्य घण्टे एवं सप्ताह के दिन:

| | | |
|-----|--|--|
| 01. | वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या | |
| 02. | वर्ष के दौरान कार्य किए गए श्रम दिवसों की संख्या | |
| 03. | कार्य के दैनिक घण्टे | |
| 04. | साप्ताहिक अवकाश के दिन | |

ङ. वर्ष के दौरान किसी दिन नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या:

| क्र.सं. | पुरुष | महिलाएं | किशोर (14 से 18 वर्ष की आयु के बीच) | बच्चे (14 वर्ष की आयु से कम) | कुल |
|---------|-------|---------|--------------------------------------|------------------------------|-----|
| | | | | | |

च. वेतन दरें (श्रेणी वार):

| श्रेणी | मजदूरी की दर | कामगारों की संख्या | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|
| | | नियमित | | | | ठेका पर | | | |
| | | पुरुष | महिलाएं | बच्चे | किशोर | पुरुष | महिलाएं | बच्चे | किशोर |
| उच्च कुशलता | | | | | | | | | |
| कुशल | | | | | | | | | |
| अर्ध-कुशल | | | | | | | | | |
| अकुशल | | | | | | | | | |

छ. (क) संदाय का विवरण:

| कुल संदाय की गई मजदूरी | | कटौतियां | | | भुगतान किया गया शुद्ध वेतन | |
|------------------------|---------------|----------|----------------------------------|------|----------------------------|------------------|
| नकद रूप में | वस्तु रूप में | जुर्माना | नुकसान अथवा हानि के लिए कटौतियां | अन्य | नकद रूप में | वस्तु के रूप में |
| | | | | | | |

(ख) वर्ष के दौरान मजदूरी सहित छुट्टी अनुमोदित कराने वाले कर्मकारों की संख्या:

| क्र.सं. | वर्ष के दौरान | कर्मकारों की संख्या | वेतन सहित अवकाश दिया गया |
|---------|---------------|---------------------|--------------------------|
| | | | |

ज. कानूनी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं:

| क्र.सं. | प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं की प्रकृति | कानूनी (विधानविनिर्दिष्ट करें) |
|---------|---|--------------------------------|
| | | |

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त सूचना सत्य एवं सही है तथा साथ ही भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने स्थापन पर लागू श्रम कानूनों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें

[फा.सं. एस- 32024/26/2014-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

पी.पी.मित्रा, प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार

टिप्पणी:-मूल नियम भारत के राजपत्र में का.नि.आ. सं.776 तारीख 14 अक्टूबर, 1950 द्वारा को प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन को सा.का.नि. सं.846 तारीख 19 जुलाई, 1984 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st December, 2014

G.S.R. 867(E).— The following draft of certain rules further to amend the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), is hereby published, as requires by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110 001;

The objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Minimum Wages (Central) (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 21, for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

‘(4A).Annual Returns. – (1)Every employer shall on or before the 1st day of February in each year upload annual returns in Form III on the web portal of the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year.

(2) Every employer on or before the 1st day of February in each year may file annual returns in the Form III to the Inspector giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector shall require the production of the accounts, books, register and other documents if the same are maintained in manual form or in electronic form, as the case may be.

Explanation. - For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).’.

3. In the principal rules, for Form III, the following Form shall be substituted, namely:-

“Form III

[See rule 21(4A)(1)]

Unified Annual Return

A. General Part :

Particulars:

(a) **Name of the establishment**

address of the establishment. House no./Flat No. Street/Plot No.
 Town District State Pin Code

(b) **Name of the employer**

address of the employer. House No./Flat No. Street/Plot No.
 Town District State Pin Code
 E-mail ID Telephone Number Mobile Number

(c) **Name of the manager or person responsible for supervision and control of establishment**

Address House No./Flat No. Street/Plot No.
 Town District State Pin Code
 E-mail ID Telephone Number Mobile Number

B. Employer’s Registration/ License number under the Act mentioned in column (2) of the Table below:

| S.No (1) | Name (2) | Registration (3) | If yes (Registration No.) (4) |
|-------------|--|---------------------|----------------------------------|
| 01. | The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1996. | | |

G. (a) Details of Payments:

| Gross wages paid | | Deductions | | | Net wages paid | |
|------------------|---------|------------|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| In cash | In kind | Fines | Deductions for damage or loss | Others | In cash | In kind |
| | | | | | | |

(b) Number of workers who were granted leave with wages during the year:

| Sl. No. | During the year | Number of workers | Granted leave with wages |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| | | | |

H. Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:

| Sl. No. | Nature of various welfare amenities provided | Statutory (specify the statute) |
|---------|--|---------------------------------|
| | | |

DECLARATION

It is to certify that the above information is true and correct and also I certify that I have complied with the all provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

PLACE DATE SIGN. HERE .”

[F.No.S- 32024/26/2014 – WC (MW)]

P.P.MITRA, Principal Labour & Employment Adviser

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, vide S.R.O No. 776, dated the 14th October, 1950 and was last amended by G.S.R. No. 846, dated the 19th July, 1984.